

प्रेषक,

आशीष तिवारी,  
सचिव,

उ० प्र० शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,  
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,  
उ० प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 09/11/2021  
असम्पत्, 2021

विषय- बहराइच वन प्रभाग के अन्तर्गत एन० एच०-730 के किमी० 248.400 से किमी० 280.000 तक (बहराइच-श्रावस्ती सेक्शन) मार्ग चौड़ीकरण परियोजना हेतु 20.072 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2320 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग के अन्तर्गत एन० एच०-730 (बहराइच-बलरामपुर मार्ग) के किमी० 280 से 310 के मध्य मार्ग चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 14.991 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2322 वृक्षों के पातन, अर्थात् कुल 35.063 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 4642 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/18934/2016)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8 वी/यू० पी०/06/61/2017/एफ० सी०/617, दिनांक 23.11.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ० प्र० लखनऊ के पत्र सं०-614/11-सी-एफपी/यूपी/रोड/18934/2016, दिनांक 19.08.2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की विन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गई है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ० प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 19.08.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या मंलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

मंलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

Signed by आशीष तिवारी

(आशीष तिवारी) 09/11/2021 16:01:51

Reason Approved

संख्या एवं दिनांक नदैव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ० प्र० लखनऊ।
- 2 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह)

अनु सचिव।